रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2000/ज्येष्ठ 2, 1922
No. 291] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2000/JYAISTHA 2, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2000

सा. का. नि. 485(अ).— पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) की धारा 24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, कहा जा सकता है।

(2) ये 15 जून, 2000 से प्रवृत्त होंगे।

2. पासपोर्ट नियम 1980 में, -

(क) नियम 5 में उप नियम (2) का प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा।

(ख) अनुसूची-III क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची आएगी, अर्थात् :-

अनुसूची-III

(नियम 5 का उप नियम (2) देखें)

क्र.सं.	पासपोर्ट आवेदन पत्र का विवरण	भारत में मूल्य	विदेशों में मू0
1	2	3	4
	नया पासपोर्ट जारी किये जाने के लिए पत्र सं0 1 (काली स्याही) से मुद्रित तथा भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध	निर्माण एवं वितरण में आई लागत के आधार पर समय-समय पर सरकार द्वारा इसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा।	लागू नहीं
2.	नया पासपोर्ट जारी किये जाने के लिए पत्र सं0 1 (नीली/काली स्याही से मुद्रित एवं भारत के सभी डाकघरों में उपलब्ध)	वही	लागू नहीं
3.	नया पासपोर्ट जारी किये जाने के लिए पत्र सं0 1 (निर्धारित रंगों में मुद्रित तथा नियम 5 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के उपवाक्य (ख) के अन्तर्गत निर्धारित व्यक्तियों के जरिए उपलब्ध।)	वही	लागू नहीं
4.	पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए पत्र सं0 2 (भूरे/चाकलेटी स्याही में मुद्रित तथा भारत के पासपोर्ट कार्यालयों एवं डाकघरों में उपलब्ध)	वही	लागू नहीं
5.	पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए पत्र सं0 2 (निर्धारित रंगों में मुद्रित तथा नियम 5 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के उपवाक्य (ख) के अनतर्गत निर्धारित व्यक्तियों के जरिए उपलब्ध)	वही	लागू नहीं
6.	गुम हुए/क्षतिग्रस्त पासपोर्टों के बदले पासपोर्ट जारी किये जाने के लिए पत्र सं0 3 (लाल स्याही में मुद्रित तथा भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों एवं डाकघरों में उपलब्ध)	वही	लागू नहीं

IndiaCode

7.	गुम हुए/क्षतिग्रस्त पासपोर्टों के बदले पासपोर्ट जारी किये जाने के लिए पत्र सं0 3 (निर्धारित रंगों में मुद्रित तथा नियम 5 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के उपवाक्य (ख) के अन्तर्गत निर्धारित व्यक्तियों के जरिए उपलब्ध)	वही	लागू नहीं
8.	नया पासपोर्ट जारी किये जाने के लिए पत्र सं0 ई ए पी–1 विस्तारित तथा पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए ई ए पी–11 विस्तारित	लागू नहीं	मुफ्त
9.	पहचान प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के लिए पत्र सं0 ई ए पी–5	मुफ्त	लागू नहीं

[सं. VI/401/18/2000]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव

IndiaCode

टिप्पणी.— अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 657(ई), दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 (1980 बाह्य) भाग–II, खण्ड–3 उप–खंड (1) के तहत प्रकाशित प्रमुख नियम निम्नलिखित रूप में संशोधित किये गये :–

1. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 50 (ई) दिनांक 07.02.1980
2. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 469 (ई) दिनांक 24.06.1982
3. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 325 (ई) दिनांक 12.04.1983
4. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 494 (ई) दिनांक 16.06.1983
5. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 345 (ई) दिनांक 29.03.1985
6. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 860 (ई) दिनांक 01.11. 1985
7. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 1155(ई) दिनांक 21.11.1988
8. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 100 (ई) दिनांक 04.03.1991
9. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 503 (ई) दिनांक 10.07.1993
10. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 622 (ई) दिनांक 27.06.1990
11. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 605 (ई) दिनांक 05.10.1998
12. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 516 (ई) दिनांक 08.07.1999
13. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 827 (ई) दिनांक 29.12.1999
14. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 34 (ई) दिनांक 12.01.2000
15. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 472(अ) दिनांक 22-05-2000
16. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 473(अ) दिनांक 22-05-2000

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2000

G.S.R. 485(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:-

1. (1) These rules may be called the Passport (Second Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force from 15 June, 2000.

2. In the Passport Rules 1980,-

(a)in rule 5, the proviso to sub-rule (2) shall be omitted;

(b)for schedule III-A, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE III-A

[See sub-rule (2) of rule 5]

Sl no.	Description of passport application forms	Price in India	Price abroad
1.	2.	3.	4.
	Form No.1 for issue of fresh passport (printed in black ink and available at all Passport Offices in India).	Price to be specified by the government from time to time based on the cost of production and distribution	Not applicable
2.	Form No.1 for issue of fresh passport (printed in blue/black ink and available at Post offices in India)	- do -	Not applicable
3.	Form No.1 for issue of fresh passport (printed in specified colour and available through persons specified under clause (b) of first proviso to sub-rule (I) of rule 5.	- do -	Not applicable
4.	Form no.2 for miscellaneous services on passport (printed in brown/chocolate ink and available at Passport Offices and Post Offices in India.)	- do -	Not applicable

5.	Form No.2 for miscellaneous services on passport (printed in specified colour and available through persons specified under clause (b) of first proviso to sub-rule (I) of rule 5.	- do -	Not applicable
6.	Form no.3 for passport to be issued in lieu of lost/damaged passport (printed in red ink and available at Passport Offices and Post Offices in India)	- do –	Not applicable
7.	Form No.3 for passport to be issued in lieu of lost/damaged passport (printed in specified colour and available through persons specified under clause (b) of first proviso to sub-rule (I) of rule 5.	- do -	Not applicable
8.	Forms No.EAP-I Ext. for issue of fresh passport and EAP-2 Ext. for miscellaneous services on passport.	Not applicable	Free
9.	Form No.EAP-5 for issue of Certificate of Identity	Free	Not applicable

IndiaCode

[No. VI/401/18/2000]

S. R. TAYAL, Jt. Secy.

Note.—Principal rules published vide Notification No. GSR 657 (E) dated December 11, 1980 (1980 external) Part II Section 3, sub-section (i), subsequently amended by :-

1. Notification No. GSR 50 (E) dated 7.02.1980
2. Notification No. GSR 469 (E) dated 24.06.1982
3. Notification No. GSR 325 (E) dated 12.04.1983
4. Notification No. GSR 494 (E) dated 16.06.1983
5. Notification No. GSR 345 (E) dated 29.03.1985
6. Notification No. GSR 860 (E) dated 1.11.1985
7. Notification No. GSR 1155(E) dated 21.11.1988
8. Notification No. GSR 100 (E) dated 4.03.1991
9. Notification No. GSR 503 (E) dated 10.07.1993
10. Notification No. GSR 622 (E) dated 27.06.1990
11. Notification No. GSR 605 (E) dated 5.10.1998
12. Notification No. GSR 516 (E) dated 8.07.1999
13. Notification No. GSR 827 (E) dated 29.12.1999
14. Notification No. GSR 34 (E) dated 12.1.2000
15. Notification No. GSR 472(E) dated 22-05-2000
16. Notification No. GSR 473(E) dated 22-05-2000

1445 GI/2000-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode